(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा 0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 432-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-1-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग,उज्जैन - प्रकरण कमांक 243/2009-10 निगरानी

हकीम खां पुत्र मेहमूद खां जाति मेवाती
निवासी ग्राम कुशलगढ़ तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मोहम्मद हुसैन पुत्र हाफिज खां
2- रज्जाक मोहम्मद पुत्र हाफिज खां
निवासी ग्राम कुशलगढ़ तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम , मध्य प्रदेश
3- भूपेन्द्र सिंह पुत्र मेहताब सिंह ग्राम हतनारा
तहसील पिपलोदा जिला रतलाम ----अनावेदकगण

(श्री संदीप मेहता अभिभाषक - आवेदक)
(श्री पी0एस0रावत अभिभाषक - अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 28 जनवरी 2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 243/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.1.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार पिपलोदा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत

कर मांग की कि ग्राम कुशलगढ़ मजरा में भूमि सर्वे क्रमांक 1583 रकबा 33 वीघा में से 25 बीघा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र से 20-2-1962 से नूरबी पत्नि मेहमूदखां मेवाती ने क्रय की थी, जिसे अनावेदक क्रमांक-3 से विक्रय किया गया है । विक्रय दिनांक से निरन्तर भूमि पर कृषि कार्य कर कब्जा चला आ रहा है परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर शासकीय अभिलेख में अमल नहीं हुआ है एंव उसका मां नूरबी की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उसका नामांत्रण किया जावे। तहसीलदार पिपलोदा ने प्रकरण क्रमांक 15 अ-6/2007-08 दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-10-2008 पारित किया एंव विक्रय पत्र पर से आवेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी जावरा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 5/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2010 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 243/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.1.2012 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो मे उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण जब वादग्रस्त भूमि से हितबद्व रहे हैं तब तहसीलदार को उन्हें व्यक्तिगत सूचना देना थी, जबकि तहसीलदार न्यायालय से अनावेदक को सूचना पत्र भेजा गया, तामील कुनिन्दा ने टीप दी है कि समयाभाव के कारण तामील कराना संभव नहीं हो पाया। एक बार सूचना पत्र भेजे जाने एंव उसके तामील न होने का कारण तहसीलदार के समक्ष स्पष्ट था तहसीलदार को पुनः सूचना जारी करना थी परन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये नामान्तरण नियमों की अनदेखी करते हुये अनावेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण अंतिम आदेश हेतु 15-1-2008 को नियत कर रख लिया । उसके बाद दिनांक 15-10-08

को अंतिम आदेश पारित किया है। प्रकरण में अंतिम तर्क सुनने एंव आदेश हेतु प्रकरण सुरक्षित रख लेने के उपरांत तहसीलदार ने 9 माह के अंतराल में अंतिम आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है इन्हीं त्रुटियों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, जावरा ने प्रकरण क्रमांक 5/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2010 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नजर नहीं आता है। अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन ने भी आदेश दिनांक 30.1.2012 से निगरानी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है जिसके कारण विचराधीन निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी, जावरा का आदेश दिनांक 13-8-2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक 243/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.1.2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर